

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव

सेवा में

अवर सचिव - सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग, रॉची ।

रॉची, दिनांक / २ -०१० -१२

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष - 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उप शीर्ष-09-जल संसाधन विभाग मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	090-सचिवालय	09-जल संसाधन विभाग	139.610

अतिरिक्त आवंटित राशि -

रूपये एक करोड़ उन्चालीस लाख एकसठ हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 509.16 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०- ०४/२०१२/३१०/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 1.45 लाख सहित कुल ₹ 510.61 लाख (पाँच करोड़ दस लाख एकसठ हजार ) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहा. अभि.(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि.)(सुदेश कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित उप सचिव/अवर सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु. :- यथोक्त

ज्ञापांक :-

126

रॉची, दिनांक :-

12 - 10 - 12

(एस० के० शतपथी )

प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

ज्ञापांक :-

126

रॉची, दिनांक :-

12 - 10 - 12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, जल संसाधन, के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II /मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०स०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि.)

(सुदूरध कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

मांस संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं  
लघु शीर्ष-090-सचिवालय / उप शीर्ष-09-जल संसाधन विभाग

पत्रांक 126 दिनांक 12-10-2014 का अनुलग्ननक परिषिक्षा-1

क्र०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-बेतन एवं भत्ते										विस्तृत शीर्ष-02- याचा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक खर्च	विस्तृत शीर्ष-04- मोटरराइडिंग	विस्तृत शीर्ष-07- अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रुपये में)	
		बेतन	जीवन यापन	योग	संवेदा	भत्ता	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल० टी० सो० देशीय याचा	कायालय व्यय	मधीनशी एवं उपकरण	आमुल्ते एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरराइडिंग इच्छन एवं मरम्मति	कुल योग	अमियुक्त	
1	विष्व कोड → 49N34510009090101	49N3451000 90090108	49N3451000 90090110	49N3451000 90090112	49N3451000 90090213	49N3451000 90090315	49N3451000 90090317	49N3451000 90090323	49N3451000 069033	49N3451000 90090334	49N3451000 0690442	49N3451000 90090760					
1	अवर सचिव - सह - निकासी एवं अतिरिक्त आवंटन	229.00	126.00	355.00	1.00	0.00	1.00	3.50	3.00	1.50	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	371.00	
1	व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रोची।	77.910	42.750	120.660	2.450	0.000	1.000	3.500	3.000	1.500	1.000	1.000	1.500	3.000	1.000	139.610	
	कुल आवंटन	306.910	168.750	475.660	3.450	0.000	2.000	7.000	6.000	3.000	2.000	1.500	6.000	2.000	1.500	510.610	

अतिरिक्त आवंटित राशि—

रूपये एक करोड़ उन्नचालीस लाख एक सठ हजार मात्र

(मुख्य प्रभाव भगवान)

सहायक अमियता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अमि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सम्मुख उप सचिव (अमि.)

(दीपू शेंग निगम)

तिशेष सचिव

(एस० कें शतपथी)

प्रधान सचिव